

डिक्री व मुकदमें ईवादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 128/2025

हरपाल सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

वनाम

1. छोटू सिंह पुत्र नर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कर्तई रुबरू हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री
रविन्द्र कुमार वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि चक 11. एमजेडी के खाता संख्या 144/57 जमाबन्दी सम्वत
2072-2075 मे प्रतिवादी संख्या 1 छोटू सिंह पुत्र नर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से
प.न. 139/182 मु.न. 41 किला नं. 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, प.न.
139/183 मु.न. 48 किला नं. 3/0.253, 4/0.253, 5/0.228 है., 5/2/0.025 है. गै.मु.
रास्ता कुल 1.012 है. आराजी का वादी हरपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर
प्रतिवादी संख्या 1 का इसी अनुसार हिस्सा कम किया जाकर वादी का उक्तानुसार खाता
/रकम राज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत
यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन
किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि यदि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....

अदा करें।

वसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.6.2022 को जारी

किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया